संख्या-98/2015/1920/78-2-2015-25आई.टी./2001

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु-2 लखनऊ:दिनांक: 20 नवम्बर, 2015

विषय:- पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग न किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया

आप अवगत ही है कि शासकीय सेवाओं की ऑन लाइन डिलीवरी तथा शासकीय कार्यो में ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ कम्प्यूटर प्रणाली तथा सूचनाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग एक ओर वायरस मेलवेयर, हैकिंग और स्पाईवेयर इत्यादि खतरों से क्म्पयूटर प्रणाली को असुरक्षित बनाता है, वहीं कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन भी है।

2- विभाग के शासनादेश संख्या-1498/78-2-2010 दिनांक 23 नवंबर, 2010 द्वारा शासकीय विभागों में क्रय कर स्थापित कम्प्यूटरों पर विधिवत लाइसेन्स प्राप्त सॉफ्टवेयर ही लोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग को रोकने की दृष्टि से अपने नियंत्रणाधीन विभागों/संगठनों/ संस्थाओं/निगमों आदि में केवल विधिवत लाईसेन्स प्राप्त सॉफ्टवेयर अथवा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग ही सुनिश्चित करायें साथ ही संबंधित विभागों/संगठनों/ संस्थाओं/निगमों द्वारा हार्डवेयर क्रय करते समय ही, अपनी आवश्यकता के अनुरूप, लाईसेन्स सॉफ्टवेयर का क्रय भी किया जाये।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या-98/2015/1920(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प. शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ.प्र. शासन।
4- प्रबध निदेशक, यूपीडेस्को, यूपीएलसी/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड/श्रीट्रान इंडिया लि0।
5- राज्य समन्वयक, सीईजी, गोमती नगर, लखनऊ।
6- राज्य समन्वयक, ई-सुविधा, गोमती नगर, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in